राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या **15025/2022**

सुखेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, उम्र लगभग 33 वर्ष, **निवासी ग्राम सबुनिया पोस्ट जयपुर तहसील लूणकरणसर जिला। उमा राम जाखड़ वर्तमान** निवास-ग्राम कारंगा बड़ा तहसील-फ़तेहपुर जिला-सीकर

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. **राजस्थान सरकार-अतिरिक्त मुख्य सचिव,** पंचायती राज विभाग, **राजस्थान** सरकार सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
2. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर**

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	**सुश्री शिखा परनामी**
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	**श्री प्रतीक सिंह के लिए** **सुश्री शीतल मिर्धा,** एएजी

माननीय न्यायमूर्ति सुदेश बंसल

निर्णय

28/03/2023

रिपोर्टेबल

1. **भारत के संविधान के अनुच्छेद** 226 के तहत इस **रिट याचिका के माध्यम से,** याचिकाकर्ता ने 2013 **की भर्ती के अनुसार एलडीसी के पद पर नियुक्ति के लिए उसकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति को चुनौती दी है और प्रत्यर्थीगण** को सभी काल्पनिक लाभों के साथ एलडीसी-2013 के पद पर **उसे नियुक्ति देने का निर्देश देने की प्रार्थना की है।**

2. **रिट याचिका में** याचिकाकर्ता **ने गुहार लगाई है कि पंचायती राज विभाग द्वारा** जारी 2013 **के विज्ञापन** के अनुसार **उन्होंने जिला परिषद, सीकर के समक्ष एससी वर्ग में एलडीसी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था।** याचिकाकर्ता **को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए** बुलाया गया था और वर्ष 2010 की पॉलिटेक्निक डिप्लोमा (सिविल) की **मार्कशीट और उसके** दिनांक 25.03.2013 के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर **याचिकाकर्ता**

ने 65.72 अंक प्राप्त किये; जिला परिषद सीकर में एलडीसी पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक 14.09.2022 की अनंतिम मेरिट सूची में एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अंतिम कट ऑफ अंक 59.22 अंक दर्शाए गए हैं, हालांकि याचिकाकर्ता का चयन नहीं किया गया, इसलिए उसने पहले प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की, तब उसे पता चला कि उसके पॉलिटेक्निक डिप्लोमा (सिविल) के प्रमाणपत्र को सीनियर सेकेंडरी के समकक्ष योग्यता के रूप में नहीं माना गया है और इस आधार पर, उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्यर्थीगण ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 273 के अनुसार उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार करने के लिए एक मानदंड अपनाया है, जैसाकि अधिसूचना दिनांक 29.01.2013 द्वारा संशोधित किया गया है। 100 अंकों में से 70% अंक सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष परीक्षा के लिए और 30% अंक मनरेगा या राज्य में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की किसी अन्य योजना में उम्मीदवार द्वारा अर्जित अनुभव के लिए निर्धारित किए गए थे। (एक वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए 10 अंक और 3 वर्ष या उससे अधिक के अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक)। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि राजस्थान सरकार, शिक्षा (समूह 6) विभाग ने दिनांक 12.10.2015 को एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत अखिल भारतीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से उम्मीदवार द्वारा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के 3 वर्ष का कोई भी कोर्स किया जा सकता है। तकनीकी शिक्षा को कक्षा 12$^{वीं}$ की शैक्षणिक योग्यता के समकक्ष घोषित किया गया है और इस तरह के आदेश का पालन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 14.03.2016 द्वारा किया गया है। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि ऐसे आदेशों/परिपत्रों के आधार पर, याचिकाकर्ता के पॉलिटेक्निक डिप्लोमा (सिविल) के प्रमाणपत्र को सीनियर सेकेंडरी के समकक्ष योग्यता माना जाना चाहिए और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की मार्कशीट के लिए 70% अंक (सिविल), याचिकाकर्ता के श्रेय में गिना जाएगा। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने पंचायत समिति बाप, जिला परिषद जोधपुर में जलग्रहण विकास योजना (आईडब्ल्यूएमपी) में 2 वर्ष 1 महीने और 28 दिनों का अनुभव प्राप्त किया है, जिसके लिए अनुभव का प्रमाणपत्र दिनांक 25.03.2013 जारी किया गया था, जो विधिवत जिला परिषद जोधपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है। इसलिए, वह अपने अनुभव के लिए 20 अंकों

का पात्र है। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने कुल 65.72 अंक प्राप्त किए और जिला परिषद, सीकर की एससी श्रेणी में योग्यता में उच्च स्थान पर है, जहां अंतिम कट ऑफ केवल 59.22 अंक है, क्योंकि ऐसा याचिकाकर्ता योग्यता के आधार पर एलडीसी के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने की प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई मनमानी और अवैध है, इसलिए, प्रत्यर्थीगण को सभी परिणामी लाभों के साथ याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने का निर्देश दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग (सिविल) की अपनी मार्कशीट अनुबंध-1 के रूप में अनुभव प्रमाणपत्र दिनांक 25.03.2013 अनुबंध-2 के रूप में, आदेश दिनांक 12.10.2015 और 14.03.2016 अनुबंध 3 और 4 के रूप में रिकॉर्ड में रखी है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ***राजस्थान सरकार बनाम लच्छा राम [(2012) 1 डब्लूएलसी (राजस्थान) 339]*** मामले में खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा जताया है। वहीं, प्रबोधक पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 09.05.2002 पर भरोसा करते हुए बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रिपरेटरी (बी.ए.पी.) कोर्स जिसमें राज्य सरकार ने बी.ए.पी. सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के समकक्ष पाठ्यक्रम को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के सीनियर सेकेंडरी कोर्स के समकक्ष माना गया था।

5. रिट याचिका के उत्तर में, प्रत्यर्थीगण ने दलील दी है कि एलडीसी के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता वरिष्ठ माध्यमिक या विज्ञापन में निर्धारित मान्यता प्राप्त बोर्ड से इसके समकक्ष पाठ्यक्रम है, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता के पास वरिष्ठ माध्यमिक की योग्यता नहीं है, इसलिए, उनकी उम्मीदवारी सही तरीके से खारिज कर दी गई है। शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा जारी परिपत्र/कार्यालय आदेश दिनांक 12.10.2015 और 14.03.2016 के संबंध में, प्रत्यर्थीगण ने तर्क दिया है कि उक्त आदेशों में, यह विशेष रूप से कहा गया है कि डिप्लोमा का 3 वर्ष का पॉलिटेक्निक प्रमाणपत्र होगा जो उच्च अध्ययन के लिए प्रवेश के उद्देश्य से कक्षा 12वीं के प्रमाणपत्र के समकक्ष होना चाहिए। इसलिए, ऐसी समकक्षता के अनुदान को भर्ती उद्देश्य के लिए समकक्षता के अनुदान के रूप में नहीं माना जा सकता है। प्रत्यर्थीगण ने यह दिखाने के लिए दिनांक 15.02.2013 (अनु. आरए/1) के पत्र की एक प्रति भी रिकॉर्ड में रखी है कि शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार ने समकक्ष माध्यमिक/उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रमों की सूची प्रदान की थी और उस सूची में, उसका नाम तकनीकी शिक्षा बोर्ड राजस्थान, जोधपुर, जहां से

याचिकाकर्ता ने पॉलिटेक्निक (सिविल) में डिप्लोमा का कोर्स किया है, इसमें शामिल नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा (सिविल) की योग्यता को एलडीसी के पद पर भर्ती के लिए सीनियर सेकेंडरी के समकक्ष नहीं माना जा सकता है। आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्तियों पर विचार किया गया और आदेश दिनांक 27.09.2022 (अनु. आर/1) के माध्यम से खारिज कर दिया गया। अस्वीकृति आदेश में यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने सीनियर सेकेंडरी शिक्षा उत्तीर्ण करने का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है और इसके अलावा, उसका अनुभव प्रमाणपत्र भी सक्षम मानक का नहीं है।

6. याचिकाकर्ता के दिनांक 25.03.2013 (अनु.2) के अनुभव प्रमाणपत्र के संबंध में, प्रत्यर्थीगण ने तर्क दिया है कि यह अनुभव प्रमाणपत्र दस्तावेज़ सत्यापन के समय याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, बल्कि 13.08.2015 का एक अन्य अनुभव प्रमाणपत्र संबंधित सीईओ द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है और 13.08.2015 का ऐसा अनुभव प्रमाणपत्र बोनस अंक देने के लिए स्वीकार्य नहीं है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा अनु.2 के रूप में रिकॉर्ड पर रखे गए दिनांक 25.03.2013 के अनुभव प्रमाणपत्र के संबंध में, प्रत्यर्थीगण ने बोनस अंक देने पर आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन यह दलील दी है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थीगण के समक्ष इसे प्रस्तुत नहीं किया गया था।

7. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा (सिविल) के 3 वर्ष के पाठ्यक्रम की सीनियर सेकेंडरी के समकक्षता का दावा करने के लिए परिपत्र/कार्यालय आदेश दिनांक 12.10.2015 और 14.03.2016 पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों का खंडन किया है। इस तरह से कि दोनों आदेशों पर निर्भरता गलत है और राज्य सरकार का कोई परिपत्र नहीं है, जो भर्ती के उद्देश्य के लिए पॉलिटेक्निक (सिविल) में डिप्लोमा को वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के बराबर घोषित करता हो। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी किसी घोषणा के अभाव में, याचिकाकर्ता को एलडीसी के पद के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा दायर दिनांक 25.03.2013 के अनुभव प्रमाणपत्र का प्रश्न है, चूंकि इसे प्रत्यर्थीगण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को बोनस अंक देने से इनकार कर दिया गया। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि एक बार याचिकाकर्ता के

पास सीनियर सेकेंडरी की अपेक्षित योग्यता नहीं है, तो उसके अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर बोनस अंकों का दावा अपना महत्व खो देता है, हालांकि वह ऐसे अनुभव प्रमाणपत्र दिनांक 25.03.2013 (अनु.2) के आधार पर बोनस अंकों का पात्र हो सकता है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग बनाम संदीप श्रीराम वार्डे [(2019) 6 एससीसी 362]** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है।

8. सुना गया और विचार किया गया।

9. सबसे पहले, यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता ने विज्ञापन 2013 के अनुसार एससी वर्ग में एलडीसी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था और उसकी उम्मीदवारी पर जिला परिषद सीकर में विचार किया गया था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि एलडीसी 2013 के पद पर भर्ती 1996 के नियमों द्वारा शासित होती है, जैसा कि अधिसूचना दिनांक 29.01.2013 द्वारा संशोधित किया गया है और उम्मीदवारों की मेरिट सूची 1996 के नियमों के नियम 273 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार की जाती है। यहां नीचे संशोधित नियम 273 को पुन: प्रस्तुत करना उचित है:

> "नियम 273 का 2 संशोधन - राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 273 के मौजूदा दूसरे प्रावधान को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा-
>
> "परंतु यह भी कि निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति के मामले में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट वेटेज के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी और ऐसे अंक जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक (जेटीए) के पद पर कार्यरत व्यक्तियों द्वारा अर्जित एक वर्ष से अधिक के अनुभव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। जूनियर इंजीनियर, ग्राम रोजगार सहायक, डेट एंट्री ऑपरेटर, मशीन के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखा सहायक, लोअर डिवीजन क्लर्क, समन्वयक आईईसी, समन्वयक प्रशिक्षण, समन्वयक प्रशिक्षण, समन्वयक पर्यवेक्षण, प्लेसमेंट एजेंसी के अलावा, मनरेगा या किसी अन्य योजना में राज्य में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग।"

10. याचिकाकर्ता की शैक्षिक योग्यता के संबंध में, यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता ने तकनीकी शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, जोधपुर से सिविल इंजीनियरिंग का 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है। राज्य सरकार ने दिनांक 12.10.2015 के आदेश द्वारा यह घोषणा की है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने 10$^{वीं}$ कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से 3 वर्ष का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, तो उसे उच्च अध्ययन के लिए प्रवेश के उद्देश्य से

12वीं कक्षा उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। राज्य सरकार के आदेश की पालना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 14.03.2016 द्वारा की गई है। इन दोनों आदेशों में मान्यता प्राप्त कॉलेज से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के पाठ्यक्रम को सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के समकक्ष घोषित किया गया है। प्रत्यर्थीगण ने ऐसे आदेश जारी करने के तथ्य पर विवाद नहीं किया है और रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसे आदेश राज्य सरकार द्वारा कभी वापस लिए गए हों और यह विवाद में नहीं है कि ऐसे आदेश अभी भी लागू हैं। प्रत्यर्थीगण ने रिट याचिका का उत्तर दाखिल करने के बाद दिनांक 15.02.2013 (अनु. आरए/1) के पत्र के साथ एक सूची तैयार की है, जो कथित तौर पर शिक्षा विभाग, सरकार द्वारा प्रदान की गई है जिसके तहत राजस्थान के पंचायती राज विभाग को अन्य शैक्षणिक बोर्डों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को राजस्थान बोर्ड की माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष घोषित किया गया है और बहस के दौरान बाद के वर्षों की सूचियों का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन समकक्ष योग्यता की ऐसी सूचियां दिनांक 12.10.2015 और 14.03.2016 के आदेशों को जारी करने से इनकार नहीं करती हैं और केवल ऐसी सूचियों के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के लिए पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए समकक्षता बढ़ा दी गई है। दिनांक 12.10.2015 और 14.03.2016 के आदेशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और ऐसे आदेश को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 12.10.2015 और 14.03.2016 (अनु.5 और 6) दोनों कार्यालय आदेशों को जारी करने, अस्तित्व और संचालन से इनकार नहीं किया है।

11. इस न्यायालय की राय है कि शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.10.2015 और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.03.2016 के आधार पर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की शैक्षणिक योग्यता (सिविल), जिसे याचिकाकर्ता ने हासिल किया है और उसके पास है, उसे सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की योग्यता के बराबर माना जाना चाहिए जो विज्ञापन के अनुसार भी एलडीसी के पद के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता सीनियर सेकेंडरी परीक्षा या इसके समकक्ष है। नियम 273 के तहत और विज्ञापन के खंड 5 में, वरिष्ठ माध्यमिक की योग्यता न रखने और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की योग्यता को ध्यान में न रखने के कारण याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने की प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई मनमानी और अवैध है।

12. यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीनियर सेकेंडरी परीक्षा या इसके समकक्ष अपेक्षित और निर्धारित योग्यता एलडीसी के पद के लिए न्यूनतम और बुनियादी योग्यता है जैसा कि विज्ञापन के खंड 5 में और 1996 के नियमों के नियम 273 के अनुसार दर्शाया गया है, लेकिन साथ ही, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के समकक्ष योग्यता को सीनियर सेकेंडरी के विकल्प में पात्र योग्यता के रूप में माना जाने की अनुमति है, इसलिए, प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता की वैकल्पिक योग्यता अर्थात पॉलिटेक्निक (सिविल) के डिप्लोमा को समकक्ष माना जाना चाहिए था, लेकिन प्रत्यर्थीगण की मांग है सीनियर सेकेंडरी की योग्यता, जैसे कि सीनियर सेकेंडरी की सटीक योग्यता प्रस्तुत न करने और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग (सिविल) के 3 वर्ष के डिप्लोमा की उनकी योग्यता पर विचार न करने के कारण याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने की प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई, जो कि समकक्ष योग्यता है, सीनियर सेकेंडरी का यह निर्णय उचित नहीं है और इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है और इसे मनमाना और अवैध घोषित किया जाना चाहिए।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***चंद्रकला त्रिवेदी बनाम राजस्थान सरकार [(2012) 3 एससीसी 129]*** के पैराग्राफ संख्या 8 और 9 में दिए गए निर्णय के माध्यम से समकक्ष और सटीक योग्यता के बीच अंतर को मान्यता दी है जो इस प्रकार है:

> “8. "समतुल्य" शब्द का उचित अर्थ दिया जाना चाहिए। समतुल्य अभिव्यक्ति का उपयोग करने का मतलब है कि लचीलेपन या समायोजन के कुछ स्तर हैं जो बताई गई आवश्यकता को कम नहीं करते हैं जो समतुल्य है और जो सटीक है, उसके बीच कुछ अंतर होना चाहिए। इसके अलावा, किसी व्यक्ति के अनंतिम रूप से चयनित होने के बाद, चयन जारी रहने की कुछ हद तक उचित अपेक्षा भी अस्तित्व में आती है।
>
> 9. मामले के इन पहलुओं पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि अपील पर यथोचित विचार किया जाना चाहिए और उसे दी गई अनंतिम नियुक्ति रद्द नहीं की जानी चाहिए। हम तदनुसार आदेश देते हैं। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित कर रहे हैं।

इस तरह के निर्णय के मद्देनजर, सीनियर सेकेंडरी की सटीक योग्यता प्रस्तुत नहीं करने पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करना कानून के विरूद्ध है और मनमाना है।

14. लछाचा राम (सुरपा) के मामले में दिया गया राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय याचिकाकर्ता के मामले को समर्थन प्रदान करता है। खंडपीठ ने प्रबोधक के पद

पर नियुक्ति के उद्देश्य से बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रिपरेटरी (बी.ए.पी.) की योग्यता को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रम के समकक्ष मानने में विद्वान एकलपीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की। उस स्थिति में प्रबोधक पद पर नियुक्ति के लिए मूल आवश्यकता सीनियर सेकेंडरी थी और आरपीएससी ने बी.ए.पी. को वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रम के समकक्ष पाठ्यक्रम मानने के लिए परिपत्र/आदेश जारी नहीं किया है। हालाँकि, न्यायालय ने राज्य सरकार के दिनांक 09.05.2002 के आदेश पर भरोसा किया, जिसने माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और बी.एस.टी.सी. में प्रवेश के लिए बी.ए.पी. पाठ्यक्रम लेने वाले उम्मीदवार को अनुमति दी थी। दो वर्ष की अवधि के पाठ्यक्रम का मतलब है कि राज्य सरकार ने सीनियर सेकेंडरी के लिए बी.ए.पी. की समकक्षता बढ़ा दी है। इसके अलावा, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी ने याचिकाकर्ता को स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश भी दिया। इस प्रकार न्यायालय ने पाया कि जब बी.ए.पी. बी.एस.टी.सी. में प्रवेश के उद्देश्य से पाठ्यक्रम को वरिष्ठ माध्यमिक के समकक्ष माना गया है। राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 09.05.2002 द्वारा पाठ्यक्रम और कोटा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा स्नातक में प्रवेश के प्रयोजन के लिए, इस प्रश्न पर जाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या आरपीएससी ने 10 वीं पास और बी.ए.पी. की योग्यता को मान्यता दी है। अंततः याचिकाकर्ता को एकल पीठ द्वारा प्रबोधक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र और योग्य घोषित किया गया और खंडपीठ द्वारा भी उसी दृष्टिकोण की पुष्टि की गई।

यह निर्णय याचिकाकर्ता के मामले को समर्थन प्रदान करता है, क्योंकि वर्तमान मामले में भी, राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिनांक 12.10.2015 और 14.03.2016 के आदेशों के माध्यम से घोषित किया है कि एक उम्मीदवार जो 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, किसी भी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से 3 वर्ष का कोर्स, सीनियर सेकेंडरी के बराबर योग्यता है और उच्च अध्ययन के लिए प्रवेश के लिए पात्र है। राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 12.10.2015 और 14.03.2016 के आदेशों द्वारा विस्तारित समकक्षता विवाद में नहीं है, लेकिन वास्तव में प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 27.09.2022 (अनु. आर/1) के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करते समय इन आदेशों पर विचार नहीं किया है। मामले के इस दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ता द्वारा राजस्थान सरकार के तकनीकी शिक्षा बोर्ड से पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की योग्यता प्राप्त करने के कारण, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता के पास

सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के समकक्ष योग्यता है, और इस तरह वह एलडीसी 2013 के पद पर नियुक्ति हेतु उनकी उम्मीदवारी पर विचार हेतु पात्र है।

15. जहां तक याचिकाकर्ता के अनुभव प्रमाणपत्र का प्रश्न है, प्रश्नगत पद के लिए भरा गया याचिकाकर्ता का ऑनलाइन आवेदन-पत्र रिकॉर्ड पर उपलब्ध है और अनुभव विवरण के कॉलम में याचिकाकर्ता ने 19.01.2011 से 15.03.2013 तक 2 वर्ष 1 माह और 28 दिन का अनुभव होना दर्शाया है। और याचिकाकर्ता के अनुभव के ऐसे विवरण याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25.03.2013 (अनु.2) के अनुभव प्रमाणपत्र में दर्शाए गए हैं और प्रमाणित के समान हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्होंने जिला परिषद, जोधपुर की जलग्रहण विकास योजना में काम किया जो स्पष्ट रूप से ग्रामीण और पंचायती राज विभाग की एक योजना है। याचिकाकर्ता को जारी अनुभव प्रमाणपत्र दिनांक 25.03.2013 (अनु.2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित है। ऐसे में याचिकाकर्ता इस अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर 2 वर्ष से अधिक का अनुभव होने के कारण 20 अंकों का पात्र है, जिस पर प्रत्यर्थीगण द्वारा भी कोई विवाद नहीं किया गया है। प्रत्यर्थीगण की दलील केवल यह है कि यह अनुभव प्रमाणपत्र दिनांक 25.03.2013 दस्तावेज़ सत्यापन के समय याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, लेकिन ऐसी याचिका अस्वीकार्य है क्योंकि याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में ही अपने अनुभव का संदर्भ दिया है, जो कि प्रमाणित है। जैसा कि ऊपर इस अनुभव प्रमाणपत्र द्वारा चर्चा की गई है, यह विश्वास करना कठिन है कि याचिकाकर्ता दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपना अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करेगा। दिनांक 21.03.2023 के आवेदन में प्रत्यर्थीगण द्वारा संदर्भित दिनांक 13.08.2015 के एक अन्य अनुभव प्रमाणपत्र के संबंध में, याचिकाकर्ता ने उचित स्पष्टीकरण दिया है कि यह अनुभव प्रमाणपत्र एलडीसी-2013 की भर्ती में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, लेकिन आवेदन करते समय याचिकाकर्ता द्वारा जिला परिषद सीकर में वर्ष 2017 में जेटीए के एक अन्य पद के लिए प्रस्तुत किया गया था। इस तरह के तथ्यात्मक विवाद को छोड़कर, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास अपने अनुभव प्रमाणपत्र दिनांक 25.03.2013 के अनुसार दो वर्ष से अधिक का अनुभव है और वह अपने अनुभव के लिए 20 अंक प्राप्त करने का पात्र है।

16. इस संबंध में इस न्यायालय को ***भारतीय खाद्य निगम बनाम रिमझिम [(2019) 5***

एससीसी 793] के मामले में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय से समर्थन मिलता है। उस मामले में, यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस तथ्य पर आया कि प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता को सहायक ग्रेड II (हिंदी) के पद पर नियुक्ति से इस आधार पर वंचित कर दिया गया था कि उसने आवेदन के साथ और/या दस्तावेजों के सत्यापन के समय अंग्रेजी से हिंदी और इसके विपरीत अनुवाद के एक वर्ष के अनुभव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था। उच्चतम न्यायालय ने तथ्य और प्रमाण के बीच अंतर अर्थात आवश्यक आवश्यकता और प्रमाण/प्रमाण के तरीके पर विचार किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता के पास अनुभव का अपेक्षित प्रमाणपत्र था, जिसके लिए 10 अंक दिए जाने की आवश्यकता थी, लेकिन विवाद यह है कि उसने अपनी पात्रता के प्रमाण के रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया। निशानों के लिए उच्चतम न्यायालय ने ***डॉली छंदा बनाम जेईई [(2005) 9 एससीसी 779]*** और ***चार्ल्स के. स्केरिया बनाम सी. मैथ्यू [(1980) 2 एससीसी 752]*** के मामले में अपने पिछले दो निर्णयों पर भरोसा जताया और खंडपीठ के निर्णय की पुष्टि की, जिसमें एफसीआई को योग्यता के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। त्वरित संदर्भ के लिए, निर्णय का प्रासंगिक भाग अर्थात पैरा संख्या 13 और 14 इस प्रकार है:

> "13. अब जहां तक एफसीआई की ओर से इस दलील का प्रश्न है कि उम्मीदवार को आवेदन के साथ अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और/या करना चाहिए, इस स्तर पर चार्ल्स के. स्केरिया बनाम डॉ. सी. मैथ्यू (1980) 2 एससीसी 752 और डॉली छंदा निर्णय चेयरमैन, जेईई और अन्य (2005) 9 एससीसी 779 के मामले में इस न्यायालय के बाद के निर्णय को संदर्भित करना आवश्यक है। चार्ल्स के. स्कारिया (सुप्रा.) के मामले में, इस न्यायालय के पास आवश्यक आवश्यकताओं और सबूत/साक्ष्य के तरीके के बीच अंतर पर विचार करने का अवसर था। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय के पास एक तथ्य और उसके प्रमाण के बीच अंतर पर विचार करने का अवसर था। इस न्यायालय के समक्ष उपरोक्त मामले में, एक उम्मीदवार/छात्र डिप्लोमा धारकों के लिए अतिरिक्त 10% अंकों का पात्र था और डिप्लोमा आवेदन की अंतिम तिथि पर या उससे पहले प्राप्त किया जाना चाहिए, बाद में नहीं। उपरोक्त मामले में, एक उम्मीदवार ने आवेदन की अंतिम तिथि से पहले डिप्लोमा हासिल कर लिया, लेकिन आवेदन के साथ डिप्लोमा का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए, उन्हें अतिरिक्त 10% अंक की अनुमति नहीं दी गई और इसलिए प्रवेश से इनकार कर दिया गया। ऐसी स्थिति से निपटते हुए, इस न्यायालय ने देखा और माना कि आवश्यक आवश्यकता यह थी कि उम्मीदवार को आवेदन की अंतिम तिथि पर या उससे पहले डिप्लोमा

प्राप्त करना चाहिए, लेकिन बाद में नहीं, और यह प्राथमिक आवश्यकता है और साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि किसी विशेष तिथि को या उससे पहले प्राप्त किया गया डिप्लोमा आवश्यक आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक है। इस न्यायालय ने विशेष रूप से देखा और कहा कि "दी गई तारीख से पहले डिप्लोमा का होना आवश्यक है; जो सहायक है वह योग्यता के प्रमाण का सुरक्षित तरीका है"। इस न्यायालय ने विशेष रूप से देखा और माना कि "किसी तथ्य और उसके प्रमाण के बीच भ्रमित करना धुंधली दृष्टि है"। इस न्यायालय ने आगे देखा और माना

"20.....आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने की तिथि अनिवार्य करना तर्कसंगत है। लेकिन अगर यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि योग्यता प्रासंगिक तिथि से पहले हासिल की गई है, तो योग्यता कारक को अमान्य कर दिया जाएगा क्योंकि साक्ष्य, हालांकि असंदिग्ध है, कुछ दिनों बाद लेकिन चयन से पहले या प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित तरीके से नहीं जोड़ा गया था, लेकिन फिर भी उपरोक्त बोर्ड को प्रक्रिया को सुगम बनाना है।

ऐसा मानते और मानते हुए, पैरा 20 और 24 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखा और माना:

"20. डिप्लोमा धारकों के लिए 10 अंक जोड़ने में कुछ भी अनुचित या मनमाना नहीं है। लेकिन इन अतिरिक्त 10 अंकों को अर्जित करने के लिए, डिप्लोमा कम से कम आवेदन की अंतिम तिथि पर या उससे पहले प्राप्त किया जाना चाहिए, बाद में नहीं। डिप्लोमा प्राप्त करने का प्रमाण उसे प्राप्त करने के तथ्य से भिन्न है। क्या वास्तव में उम्मीदवार ने डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि से पहले डिप्लोमा हासिल कर लिया है? यही प्राथमिक प्रश्न है। आवेदन के साथ डिप्लोमा का साक्ष्य प्रस्तुत करना समझदारी है, लेकिन यह गौण है। पहली तारीख को छूट देना गैरविधिक है, दूसरी तारीख पर ऐसा नहीं है। जिस डिप्लोमा के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं, उसके माध्यम से अकादमिक उत्कृष्टता को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि इसका प्रमाण बाद में, वास्तविक चयन की तारीख से पहले ही प्रस्तुत किया जाता है। जोर डिप्लोमा पर है; इसका प्रमाण डिप्लोमा के कब्जे के तथ्य का समर्थन करता है और एक स्वतंत्र कारक नहीं है... प्रमाण का तरीका प्रश्न में योग्यता के लक्ष्य के अनुरूप है। यह दोनों को दूरबीन से देखने और समय के अनुसार दोनों को अनिवार्य बनाने के नुस्खे की ध्वनि व्याख्या और यथार्थवादी डिकोडिंग के लिए विध्वंसक है। दी गई तारीख से पहले डिप्लोमा का होना आवश्यक है; जो सहायक है वह योग्यता के प्रमाण का सुरक्षित तरीका है। किसी तथ्य और उसके प्रमाण के बीच भ्रमित होना धुंधली दृष्टि है। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने की तिथि अनिवार्य करना तर्कसंगत है। लेकिन अगर यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि योग्यता प्रासंगिक तिथि से पहले हासिल कर ली गई है, जैसा कि यहां मामला है, तो इस योग्यता कारक को अमान्य कर दिया जाएगा क्योंकि प्रमाण, हालांकि असंदिग्ध है, कुछ दिनों बाद लेकिन चयन से पहले या उस तरीके से जोड़ा गया था जिसका

उल्लेख प्रॉस्पेक्टस में नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी ऊपर की ओर, प्रक्रिया को दासी नहीं बल्कि मालकिन बनाना है और रूप को पदार्थ के अधीन नहीं बल्कि सार से श्रेष्ठ बनाना है।

24. यह कुख्यात है कि यह औपचारिक, अनुष्ठानिक, दृष्टिकोण अवास्तविक है और अनजाने में दर्दनाक, अन्यायपूर्ण और अभ्यास के उद्देश्य के लिए विध्वंसक है। समस्याओं को देखने का यह तरीका प्रशासनिक, न्यायिक और यहां तक कि विधायी प्रक्रियाओं को मनुष्य के लिए कानून के व्यापक परिप्रेक्ष्य में अमानवीय बनाता है, न कि मनुष्य को कानून के रूप में। प्रशासन में अधिकांश कठिनाई और उत्पीड़न आवश्यक के बजाय बाहरी पर अधिक जोर देने के कारण होता है। हमारा मानना है कि सरकार और चयन समिति ने डिप्लोमा रखने को साबित करने के तरीके को निर्देशिका (अनिवार्य नहीं) और डिप्लोमा के वास्तविक कब्जे को अनिवार्य माना है। वास्तविक जीवन में, हम जानते हैं कि डिग्री, डिक्री और कार्यों की प्रतियां प्राप्त करना कितना अत्यधिक विलंबित है, विश्वविद्यालयों से मार्कलिस्ट जैसे अन्य प्रमाणित दस्तावेजों की तो बात ही छोड़ दें, यहां तक कि न्यायालयों से जमानत आदेश और सार्वजनिक कार्यालयों से सरकारी आदेश भी। वर्तमान मामले में राज्य सरकार द्वारा इस निराशाजनक देरी को दो चरणों में दरकिनार कर दिया गया। सरकार ने चयन समिति को सूचित किया कि भले ही उन्हें आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ही अंकों का प्रमाण मिला हो, लेकिन चयन की तारीख से पहले उन पर ध्यान दिया जा सकता है और दूसरे, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों ने आधिकारिक तौर पर सूचित किया कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम में कौन से उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। चयन समिति ने इन कदमों को स्वीकार करके और उन पर कार्रवाई करके किसी भी अनिवार्य नियम का उल्लंघन नहीं किया और न ही मनमाने ढंग से कार्य किया। यदि प्रक्रिया के बारे में कुछ भी संदिग्ध, संदेहास्पद या अनुचित होता या आधिकारिक अभ्यास में कोई दुर्भावनापूर्ण कदम होता तो हम कभी भी विचलन बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन एक प्रॉस्पेक्टस धर्मग्रंथ नहीं है और सामान्य ज्ञान उसमें दिए गए दिशानिर्देशों की व्याख्या करने और उन्हें लागू करने में प्रतिकूल नहीं है। एक बार जब यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो विशेष अंक जोड़ना अंकों द्वारा मापी गई दक्षता के लिए बुनियादी न्याय था।

चार्ल्स के. स्कारिया (सुप्रा.) के मामले में इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, डॉली छंदा (सुप्रा.) के मामले में भी इस न्यायालय द्वारा इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है।

14. उपरोक्त दो मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू करते हुए, हमारी राय है कि खंडपीठ ने मामले को खारिज करने में एफसीआई की कार्रवाई को सही ढंग से रद्द कर दिया है। मूल रिट याचिकाकर्ता और उसने एफसीआई को उचित ही निर्देश दिया है कि यदि अन्य सभी शर्तें पूरी होती हैं तो योग्यता के आधार पर नियुक्ति के लिए मूल रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया जाए।"

17. जहां तक माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का प्रश्न है, महाराष्ट्र लोक सेवा

आयोग (सुप्रा.) के मामले में प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने कहा कि यह निर्णय कानून के एक प्रस्ताव को उजागर करता है कि यह नियुक्ति प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के भीतर है। किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता तय करने के लिए न्यायालय न तो शर्त और पात्रता निर्धारित कर सकता है और न ही वांछनीय योग्यता के संबंध में मुद्दे पर ध्यान दे सकता है। यह भी माना गया कि समतुल्यता का प्रश्न भी न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र से बाहर है। उक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव के बारे में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का प्रश्न है, नियम 273 में और विज्ञापन में भी, निर्धारित अपेक्षित योग्यता सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष है और इसके अलावा, राजस्थान सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्रमशः दिनांक 12.10.2015 और 14.03.2016 को आदेश जारी करके पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा को सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के साथ समकक्षता प्रदान की है, इसलिए, इस न्यायालय को अपनी शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वांछनीय योग्यता निर्धारित करने या पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के डिप्लोमा को सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के समकक्ष घोषित करने के प्रश्न पर न्यायिक समीक्षा की जाए, लेकिन जो भी सामग्री रिकॉर्ड पर रखी गई है, न्यायालय ने इस मुद्दे को अपनी न्यायिक अनुमति के भीतर तय कर दिया है।

18. ऊपर की गई चर्चाओं का परिणाम यह है कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी राजस्थान तकनीकी शिक्षा बोर्ड, जोधपुर द्वारा जारी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा (सिविल) की योग्यता और उसके अनुभव प्रमाणपत्र दिनांक 25.03.2013 के आधार पर की जाएगी। एलडीसी-2013 के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता के आधार पर विचार किए जाने का पात्र है। याचिकाकर्ता के अनुसार, मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 65.72 अंक प्राप्त किए, जबकि जिला परिषद, सीकर के लिए एससी वर्ग की अनंतिम मेरिट सूची में, अंतिम कट ऑफ अंक 59.22 है, इसलिए, याचिकाकर्ता मेरिट में उच्च स्थान पर है और इस प्रकार नियुक्ति का पात्र है।

19. परिणामस्वरूप, रिट याचिका सफल हो जाती है और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे एससी श्रेणी में योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करें और पॉलिटेक्निक (सिविल) राजस्थान सरकार, तकनीकी शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (अनु.1) के डिप्लोमा के लिए वर्ष 2010 की मार्कशीट में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखें और

याचिकाकर्ता के अनुभव प्रमाणपत्र दिनांक 25.03.2013 (अनु.2) द्वारा, और योग्यता के आधार पर उसकी उपयुक्तता का निर्णय करने के बाद, याचिकाकर्ता को पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। एलडीसी, 2013 की भर्ती के क्रम में यह कार्य एक माह की अवधि के भीतर किया जाना है। कोई लागत नहीं।

20. स्थगन आवेदन और अन्य लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(सुदेश बंसल), न्यायमूर्ति

SACHIN/42

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।